भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5469
गुरुवार, 3 अप्रैल, 2025/13 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

हवाई किराए में बढ़ोतरी

5469. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान कंपनियों द्वारा निर्धारित हवाई किरायों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गतिशील मूल्य निर्धारण के कारण कुछ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मागों पर हवाई टिकट की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के मामलों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमान कंपनियों की टिकटों की कीमतें मांग और आपूर्ति सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विमान कंपनियों की संख्या में वृद्धि करके तथा ऐसे मार्गों पर जहां मांग बहुत अधिक है, उपलब्ध सीटों में वृद्धि करके मांग और आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): एयरलाइनें अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर विमान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए हवाई किराया निर्धारित करती हैं। हवाई किराया सरकार द्वारा विनियमन के अधीन नहीं है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) की स्थापना की है, जो एयरलाइनों की वेबसाइटों के आंकड़ों का उपयोग करके मासिक आधार पर चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों पर हवाई किराए की निगरानी करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर हवाई किराया नहीं वसूलें।

अतिरिक्त विमान बेड़े को शामिल करके क्षमता में वृद्धि, मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और नए हवाई अड्डों के विकास ने आम जनता के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बना दिया है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप घरेलू हवाई यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 70 मिलियन से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 153 मिलियन तक यात्रियों की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट है। यह वृद्धि 2024-25 में भी जारी

रहेगी। इसके अलावा, भारतीय एयरलाइनों ने पिछले 02 वर्षों में लगभग 1150 नए विमानों का ऑर्डर दिया है।

एयरलाइनों और ऑनलाइन टिकटिंग एजेंटों (ओटीए) के साथ निरंतर संपर्क और हवाई किराए के बदलाव पर नजर रखने से, डीजीसीए द्वारा निगरानी वाले क्षेत्रों में 2023 की तुलना में 2024 में हवाई किराए में कमी आई है।

बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, सरकार सतर्क रहती है और यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्षमता स्थानांतरित करने के लिए हस्तक्षेप करती है।

हवाई किराए की प्रकृति परिवर्तनशील होती है और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत का पालन करती है। भारत में हवाई किराए की कीमतों में रुझान काफी हद तक मौसम संबंधी कारक, ईंधन की प्रचलित कीमत, मार्ग पर परिचालन करने वाले विमानों की क्षमता, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, ऋतु, छुट्टियां, त्यौहार, लंबे सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि पर आधारित है।

******